न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/107/2022 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 08.06.2022

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

उनवान

1. अभय कुमार पिता रामेश्वर लाल सौमानी आयु व्यस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़(राज.)।

——अप्रार्थी

उपस्थितिः– प्रार्थी स्वयं —प्रार्थी
पेरोकार सरकार —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

निर्णय दिनांकः 08.06.2022

—:निर्णयः—

1. प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप केम्प धमाणा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4076, 4078, 4079, 5103/4080, 4084, 4085, 4090 स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थना पत्र के साथ चालु जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में आने जाने का आम रास्ता मौके व राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है अतः बिलानाम सरकार आराजी संख्या 4069 रकबा 0.30 है0 में से 383.12 वर्गमीटर, आराजी संख्या 4070 रकबा 0.32 है0 में से 1040.00 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 4077 रकबा 0.60 है0 में से 1593.75 वर्ग मीटर कुल एरिया 3016.87 वर्गमीटर स्टेट हाइवे 09 कपासन से वाया उदयपुर से रास्ते की आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थना की कि उक्त वर्णित बिलानाम आराजीयात में से रास्ते की भूमि दिलवाने की कृपा करें।
2. प्रकरण में 251(क) के तहत तहसीलदार [illegible] से बिन्दुवार रिपोर्ट किये जाने बाबत् मूल ही प्रार्थना पत्र भिजवाया गया।
3. प्रकरण में तहसीलदार कपासन द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022–23/453 दिनांक 08.06.2022 से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 फॉलोअप केम्प [illegible] में मूल पत्रावली बाद जांच प्राप्त हुई। रिपोर्ट 251(क) प्रपत्र में निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु दर्ज रिकार्ड रास्ता नही है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

    तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं उक्त रास्ते की आराजीयात बिलानाम सरकार है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

    जिन आराजीयात में से प्रार्थी रास्ता चाहता है वह बिलानाम सरकार दर्ज है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

    जिन आराजीयात में से प्रार्थी रास्ता चाहता है वह बिलानाम सरकार दर्ज है।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

    तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुंगाना की बिलानाम आ0 न0 4069 में से 286.60 वर्गमीटर , आराजी संख्या 4070 में से 755.60 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 4077 में से 1186.60 वर्ग मीटर कुल रास्ते हेतु दी जाने वाली भूमि 2229 वर्ग मीटर डी0एल0सी अनुसार उक्त भूमि की कीमत 470470/– रूपये होती है जिसकी दोगुना राशि 470470 × 2 = 941540/– रूपये बनते है।

4. साथ ही उपरोक्त तीनो आराजीयात में किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। पहुंच हेतु मार्ग हेतु सरकारी आराजी नम्बर को डी0एल0सी0 दर से दोगुना राशि राज्य सरकार को जमा कराये जाने पर रास्ता दिया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उक्त बिलानाम आराजी नम्बर 4069 व 4070 सडक 100 मीटर के दायरे में आती है जिसका कुल रकबा 0.1042 जिसकी राशि 229910/– रूपये व आराजी नम्बर 4077 सडक से 200 मीटर के दायरे में आती है जिसका रकबा 0.1186 जिसकी राशि 240860 /– रूपये बनते है। 229910+ 240860= 470470/– रूपये जिसका दुगुना राशि 941540/– रूपये होते है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी द्वारा उक्त शर्तो की पालना किये जाने पर सरकारी बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी की भूमि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4078, 4089, 4090, 4186, 4191, 5098/4015, 5099/4015, 5100/4015,

5103/4080 स्थित है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने, हेतु प्रार्थी की आ0 स0 4078 के उत्तरी दिशा तरफ बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 4069, 4070, 4077 में से होकर रास्ता चाह रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रेकार्डेड रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 2229 वर्ग मीटर का रास्ता तहसीलदार कपासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम बी–2 दर्ज है। चूंकि प्रार्थी की भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। **इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुचने के लिए राजकीय भूमि मे से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदारी को उसकी जोत तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरो का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखो मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।** हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। सलग्न नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट, गुगल मेप का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाकर डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात स्थित है जिसके हाल आराजी न0 4078, 4089, 4090, 4186, 4191, 5098/4015, 5099/4015, 5100/4015, 5103/4080 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 4069 रकबा 0.30 हैक्यटर किस्म बारानी 2 में से लम्बाई 31.15 मीटर व चौडाई 9.20 मीटर (30फीट) 286.60 वर्गमीटर, आराजी संख्या 4070 रकबा 0.32 हैक्यटर किस्म बारानी 2 में से लम्बाई 82.13 मीटर व चौडाई 9.20 मीटर (30फीट) 755.60 वर्गमीटर, वर्ग मीटर, आराजी संख्या 4077 रकबा 0.60 हैक्यटर किस्म बारानी 2 में से लम्बाई 129 मीटर व चौडाई 9.20 मीटर (30फीट) 1186.80 वर्गमीटर, वर्ग मीटर कुल एरिया 2229 वर्गमीटर है। जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस संलग्न है के अनुसार रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर से उक्त भूमि की कीमत 470470/– रूपये का दुगुना 941540/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रूपये अक्षरे नो लाख इकतालिस हजार पांच सौ चालीस रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को लिखवाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:33 IST
Reason: SelfAttested